

## कार्यालय नगरपालिका मण्डल तारानगर (चूरु) राजस्थान

क्रमांक/न.पा.ता./प्र.श.के.सं.अ.-2021/2021-22/ 3658

दिनांक :- 16/12/22

लोक सूचना प्ररूप - 5

प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय, नगरपालिका तारानगर (चूरु) राजस्थान

निम्न तालिका में अंकित आवेदको ने नीचे वर्णित भूमि में अपने अधिकार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69-क के तहत आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में अभ्यार्पित कर दिये है :-


क्र. सं.	आवेदक का नाम व पिता का नाम	आवेदन सं.	क्षेत्रफल
1.	लखपत पुत्र चैना राम वार्ड नं. 08 तारानगर	2103	247.25 वर्गगज
2.	राजकुमार पुत्र खूवाराम वार्ड नं. 06 तारानगर	2104	357.63 वर्गगज
3.	विमला देवी स्वामी पत्नी बनवारी लाल स्वामी वार्ड नं. 07 तारानगर	2105	358.33 वर्गगज
4.	मोतीलाल पुत्र चोरूलाल वार्ड नं. 10 तारानगर	2106	150.80 वर्गगज
5.	कन्हैयालाल पुत्र गजानंद शर्मा वार्ड नं. 19 तारानगर	2107	353.00 वर्गगज
6.	उर्मिला देवी पत्नी बाबुलाल वार्ड नं. 22 तारानगर	2108	321.97 वर्गगज
7.	योगेन्द्र कुमार पुत्र विनोद कुमार वार्ड नं. 28 तारानगर	2109	143.33 वर्गगज
8.	मंजू देवी पत्नी ऋषि नन्दन वार्ड नं. 34 तारानगर	2110	291.05 वर्गगज
9.	गजानन्द जांगिड़ पुत्र बृजलाल जांगिड़ वार्ड नं. 02 तारानगर	2111	301.88 वर्गगज
10.	ओम प्रकाश पुत्र बृजलाल वार्ड नं. 02 तारानगर	2112	296.81 वर्गगज
11.	बृजलाल पुत्र रामदेव वार्ड नं. 26 तारानगर	2113	357.77 वर्गगज
12.	विनोद कुमार सोनी पुत्र लुण करण सोनी वार्ड नं. 03 तारानगर	2114	357.49 वर्गगज
13.	मकबूल मोहम्मद भाटी पुत्र बजीद खान भाटी वार्ड नं. 17 तारानगर	2115	127.27 वर्गगज
14.	बद्री प्रसाद पुत्र गणपत दास वार्ड नं. 04 तारानगर	2116	334.89 वर्गगज
15.	मैना देवी पत्नी दुर्गादत्त वार्ड नं. 03 तारानगर	2117	162.00 वर्गगज
16.	रीटा पत्नी संजय कुमार वार्ड नं. 27 तारानगर	2118	105.62 वर्गगज
17.	मो. अदरीश पुत्र सलामुद्दीन वार्ड नं. 16 तारानगर	2119	45.06 वर्गगज
18.	राजेन्द्र स्वामी पुत्र ओमप्रकाश वार्ड नं. 26 तारानगर	2120	514.50 वर्गगज
19.	मुबारिक पुत्र बदरुखान वार्ड नं. 13 तारानगर	2121	140.96 वर्गगज
20.	मातुराम पुत्र मोहन लाल वार्ड नं. 27 तारानगर	2122	332.51 वर्गगज
21.	गफुर मोहम्मद खोखर पुत्र रहीम बक्स खोखर वार्ड नं. 12 तारानगर	2123	114.44 वर्गगज
22.	कमल कुमार बोथरा पुत्र झुमर मल बोथरा वार्ड नं. 35 तारानगर	2124	366.66 वर्गगज
23.	लादुराम पुत्र मोहनलाल वार्ड नं. 15 तारानगर	2125	244.32 वर्गगज
24.	नरेश कुमार सोनी पुत्र कुंदन मल सोनी वार्ड नं. 08 तारानगर	2126	93.33 वर्गगज
25.	दुलीचंद पुत्र भगवान राम वार्ड नं. 01 तारानगर	2127	91.96 वर्गगज
26.	मैना देवी पत्नी भगवानाराम वार्ड नं. 03 तारानगर	2128	215.62 वर्गगज
27.	ओमप्रकाश पुत्र छगनलाल वार्ड नं. 03 तारानगर	2129	229.33 वर्गगज
28.	मोहन लाल पुत्र छगन लाल वार्ड नं. 03 तारानगर	2130	229.33 वर्गगज
29.	काशीराम प्रजापत पुत्र रामस्वरूप वार्ड नं. 01 तारानगर	2131	208.90 वर्गगज
30.	जगलाल पुत्र सीताराम वार्ड नं. 08 तारानगर	2132	254.16 वर्गगज
31.	मुकेश कुमार जांगिड़ पुत्र दौलतराम वार्ड नं. 03 तारानगर	2133	284.20 वर्गगज
32.	कृष्णा देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण वार्ड नं. 03 तारानगर	2134	355.66 वर्गगज
33.	राम प्रसाद पुत्र भंवर लाल वार्ड नं. 03 तारानगर	2135	229.33 वर्गगज
34.	इशर राम पुत्र रामेश्वर लाल वार्ड नं. 03 तारानगर	2136	281.88 वर्गगज
35.	होशियारी लाल पुत्र महावीर प्रसाद वार्ड नं. 02 तारानगर	2137	292.92 वर्गगज
36.	आनन्द कुमार पुत्र सम्पत राम सैनी वार्ड नं. 02 तारानगर	2138	358.22 वर्गगज

Aapti suchna 2021-22

37.	गुलजारी पुत्र लालचंद वार्ड नं. 28 तारानगर	2139	199.10 वर्गगज
38.	सांवरमल नाई पुत्र चौरु लाल वार्ड नं. 35 तारानगर	2140	244.55 वर्गगज
39.	विमला देवी स्वामी पत्नी बनवारी लाल स्वामी वार्ड नं. 07 तारानगर	2141	247.08 वर्गगज
40.	गोदावरी देवी पत्नी बजरंग लाल वार्ड नं. 03 तारानगर	2142	356.5 वर्गगज
41.	विजय कुमार पुत्र महावीर प्रसाद वार्ड नं. 02 तारानगर	2143	350.00 वर्गगज
42.	महिपाल कुमार स्वामी पुत्र सुरेन्द्र कुमार स्वामी वार्ड नं. 08 तारानगर	2144	222.22 वर्गगज
43.	संतोष देवी पत्नी हरलाल वार्ड नं. 01 तारानगर	2145	300.00 वर्गगज

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है, कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 69क के अधीन पूर्ण स्वामित्व पट्टा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए नगरपालिका के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने की अनुज्ञा की मंजूरी के संबंध कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियम समय के भीतर किसी आक्षेप में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तदनुसार किया जायेगा।

सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 16.12.2022 को जारी की गयी।




(अरुण कुमार सोनी)  
प्राधिकारी अधिकारी  
एवं अधिशाषी अधिकारी  
नगरपालिका तारानगर

दिनांक :- 16/12/22

क्रमांक/न.पा.ता./आपति सूचना/2022-23/3659-62

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

01. सम्पादक दैनिक भास्कर सीकर को भेजकर लेख है, कि उक्त आपति सूचना डीपीआर दर पर सूक्ष्मतरंग पत्र में प्रकाशित कर बिल भिजवाना सुनिश्चित करे।
02. संबंधित लिपिक नगरपालिका तारानगर।
03. नोटिस बोर्ड नगरपालिका तारानगर।
04. सुरक्षित पत्रावली।



(अरुण कुमार सोनी)  
अधिशाषी अधिकारी  
नगरपालिका तारानगर